संख्या- 49 /2024/894/26-3-2024/CN-1660823

प्रेषक,

रजनीकान्त पाण्डेय
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 14 मार्च 2024**

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, बेवर-मैनपुरी के निर्माण हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष जी0एस0टी0 एवं बाह्य विद्युत संयोजन के मद में व्यय हुयी अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4180-81-71/स0क0/ए0टी0एस0-सेल(29)/बेवर-मैनपुरी/2022-23, दिनांक-21.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, बेवर मैनपुरी के जी0एस0टी0 एवं सर्विस टैक्स तथा वाह्य विद्युत संयोजन के मद में यूपीसिडको द्वारा जमा की गयी धनराशि रू0-1,02,94,613.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहद निर्माण में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, बेवर मैनपुरी के जी0एस0टी0 एवं सर्विस टैक्स तथा वाह्य विद्युत संयोजन के मद में यूपीसिडको द्वारा जमा की गयी धनराशि रू0-1,02,94,613.00 की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय बेवर मैनपुरी में फर्नीचर की व्यवस्था हेतु की जाएगी।
(2) वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों/क्रय सम्बन्धी शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार फर्नीचर सम्बन्धी सामग्री के क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(3) निदेशक, समाज कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त स्वीकृति के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये इस्टीमेट के क्रम में आवश्यक धनराशि का ही व्यय किया जाये।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनाँक 17-03-2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
(5) बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।
(6) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये-1,02,94,613/- (रूपये एक करोड़ दो लाख चौरान्वे हजार छः सौ तेरह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखाशीर्षक 4225017890700 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनाँक 17-03-2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally Signed by रजनी कान्त पाण्डेय
Date: 14-03-2024 15:58:33
Reason: Approved

भवदीय,
(रजनीकान्त पाण्डेय)
उप सचिव

पृसं0-49 /2024/894 (1)/26-3-2024 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, मैनपुरी।
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, मैनपुरी।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
10- निदेशक, एन0आई0सी0।
11- गार्डफाइल

(रजनीकान्त पाण्डेय)
उप सचिव